रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072021-228448 CG-DL-E-23072021-228448

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2708] No. 2708] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2021/श्रावण 1, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2021/SHRAVANA 1, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2021

का.आ. 2914(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :--

- (1) उक्त अधिसूचना में,--
 - (क) सारणी की क्रम संख्यांक 8 और क्रम संख्यांक 43 में, "21 सितंबर, 2021" शब्दों और अंकों के स्थान पर "21 मार्च, 2022" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
 - (ख) सारणी क की क्रम संख्यांक 6 में, "21 सितंबर, 2021" शब्दों और अंकों के स्थान पर "21 मार्च, 2022" शब्द और अंक रखे जाएंगे :
 - (ग) सारणी ख ई-रिक्शा और ई-गाडी के लिए सुरक्षा मानक की क्रम संख्यांक 2 में, "21 सितंबर, 2021" शब्दों और अंकों, जहां वे आते है, के स्थान पर "21 मार्च, 2022" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं.11036/17/2021–एमवीएल]

अमित वरादन, संयुक्त सचिव

4020 GI/2021 (1)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1406(अ), 22 मार्च, 2021 तारीख द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2021

S.O. 2914(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E) dated the 13th December, 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (ii), namely: -

- (1) In the said notification,—
 - (a) in the Table, in serial numbers 8 and 43, for the words and figures "21st September 2021", wherever it occurs, the words and figures "21st March ,2022" shall be substituted;
 - (b) in the Table A, in serial number 6, for the words and figures "21st September 2021", the words and figures "21st March, 2022" shall be substituted;
 - (c) in the Table B Safety Standards for E-rickshaws and E-carts, in serial number 2, for the words and figures "21st September 2021" wherever it occurs, the words and figures "21st March, 2022" shall be substituted.

[F. No.11036/17/2021-MVL] AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and lastly amended *vide* notification number S.O. 1406(E), dated the 22nd March, 2021.